

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चुरू

epaper.rashtradoot.com



Tanzania! The Land Of Cheetah And Savannah!

After successful relocation of tigers to Sariska, voices in favour of cheetah translocation could no more be ignored

René Lalique's Art Nouveau Walking Stick

The Art Nouveau movement exemplifies the fusion of beauty and functionality that characterized Parisian design around 1900

प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी आई-पैक पर छापा पड़ने से हिल गए ममता बनर्जी व स्टालिन

दोनों पार्टियाँ, यह ही कहने में जुटी हैं कि छापा पड़ने व कुछ उच्चाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भी चुनाव अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, चुनाव अभियान पहले जैसे यथावत चल रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। आई-पैक पर बड़े राजनीतिक तनाव के बीच, तृणमूल और डीएमके (द्रमुक) दोनों, अपने चुनाव अभियानों को किसी भी व्यवधान से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंसल्टेंसी फर्म, जो कभी उच्च-दांव वाले चुनावी रणनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाती थी, अब जांच के दायरे में है, जिससे दोनों पार्टियों ने सोच समझकर नियमित बदलाव किए और इन हाउस सिस्टम को प्रचार के लिए चुना है।

दोनों पार्टियों का जोर अभियान की निरंतरता पर है और नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चरण में अभियान की गति कम नहीं होने दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में, तृणमूल की आई-पैक पर निर्भरता 2021 विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार

- प्रशांत किशोर, एक बार तो चुनाव रणनीतिकार के रूप में आधुनिक अवतार के रूप में उभरे थे तथा कांग्रेस व भाजपा से भी लंबी-लंबी बातें हुई थी, पार्टी का संगठन और सोच प्रशांत किशोर को सौंपने के बारे में। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों ने उनके इस चमत्कारी "प्लान" को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। पर, तृणमूल और डीएमके ने उनका प्लान स्वीकार किया और काफी कुछ प्रशांत किशोर पर निर्भर हो गए थे।
- प्रशांत किशोर ने अधिकृत रूप से आई-पैक से अपने आप को अलग करके सीधे चुनाव व ग्रास रूस स्तर से राजनीतिक गतिविधि शुरू की तथा जन स्वराज पार्टी नाम से पार्टी बना कर बिहार के चुनाव में कूदे। परन्तु, उन्हें करारी हार मिली, एक भी सीट नहीं जीते, बिहार के चुनाव में।
- पर, उनके द्वारा शुरू की गई संस्था आई-पैक, बंगाल व तमिलनाडु में खूब फली-फूली। दोनों राज्यों में उनका प्रभुत्व, सिक्का, ममता बनर्जी व स्टालिन ने स्वीकार किया तथा आई-पैक पर उनकी निर्भरता पूर्ण थी। पर, अब दोनों नेता यह कहने में जुटे हैं कि आई-पैक का रोल केवल साथ देने तक सीमित था।

समयोजित की जा रही है, जब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इस फर्म ने संदेश और अभियान संरचना पर लगभग पूरी

तरह से नियंत्रण रखा था। इसके बाद, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने आंतरिक टीमों का निर्माण किया, जो

अब डेटा, वृथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क संभालती हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी "सैंटर पीस" बन गए हैं, असम, बंगाल व तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में

इन राज्यों में गैर भाजपा दल प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगा रहे हैं और भाजपा इन आरोपों को देश की जनता का अपमान बता रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं द्वारा कथित या वास्तविक "अपमान" के आरोपों में अभियान चलाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है।

पिछले महीने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कथित रूप से "सबसे बड़ा घुसपैठिया" बताया, जिससे विवाद बढ़ गया। तमिलनाडु में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने प्रधानमंत्री मोदी को कथित रूप से "आतंकवादी" कहकर भाजपा में

- हाल ही में तमिलनाडु में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे के बयान पर भाजपा नेता हंगामा कर रहे हैं कि खड्गे ने मोदी को "आतंकवादी" कहा है। भाजपा ने कहा कि खड्गे को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए।
- इससे पहले प.बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने प्र.मंत्री को "सबसे बड़ा घुसपैठिया" कह दिया था, इस पर भी भारी बवाल मचा था और भाजपा ने इस पर उग्र विरोधी अभियान चलाया।

उफान ला दिया, और भाजपा ने माँग की कि 'खड्गे राष्ट्र से माफ़ी माँगे। इससे पहले, बिहार में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ हीराबेन के खिलाफ विपक्षी मंच से की गई

अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बहुत आक्रोश में थे। इन विवादों की एक आम विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस नाटक के केन्द्र बिंदु रहे। ऐसा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सीजेआई सूर्यकांत 18 घंटे काम करते हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। 19 अप्रैल को, मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रुरै बेंच के लिए नए अतिरिक्त न्यायालय

- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने यह बात मद्रास हाई कोर्ट की मद्रुरै बेंच के नए अतिरिक्त भवन के उद्घाटन समारोह में कही। कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत भी थे। जस्टिस सुंदरेश बता रहे थे कि जज का जीवन कितना व्यस्त होता है।

भवन और गेस्ट हाउस का उद्घाटन मद्रुरै जिला न्यायालय में किया गया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान युद्ध में गतिरोध जारी, अभी तक वार्ता स्थगित है

दोनों तरफ से बस धमकियों का आदान-प्रदान हो रहा है

-अंजन रांय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर से शुरू करने का प्रयास पश्चिम एशियाई खाड़ी के किनारों पर फंस गया है। स्पष्ट गतिरोध दिखाई दे रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बमबारी फिर से शुरू करने की धमकी शामिल है। स्थिति को और ज्यादा जटिल यह स्थिति बनाती है कि अमेरिकी मरीन ईरानी जहाजों पर चढ़ गए और उन्हें उच्च समुद्र में ही जबरन कर लिया। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि यदि अमेरिका जमीनी लड़ाई में उतरता है, तो उसके सेनानी पूरी तरह से सशस्त्र हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं।

इस मौजूदा गतिरोध के पीछे दो मूलभूत मुद्दे हैं, पहला, होर्मुज स्ट्रेट की पूर्व स्थिति की बहाली, यानी इसे एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता देना, जिस पर किसी देश का कोई विशेष अधिकार न हो, और दूसरा,

- अमेरिका ने ईरान के दो जहाजों को एक ओमान की खाड़ी और दूसरा हिन्द महासागर पर बंदी बना लिया है।
- ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक जहाज पर वो सामान था जो चीन, ईरान को बतौर सौगत भेज रहा था। ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी कि वो दिक्कत में फंस जाएगा। पहले भी ट्रंप ने चीन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगर, चीन ने ईरान को युद्ध की सामग्री दी।
- यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका व ईरान के बीच सीजफायर की अवधि अब बुधवार को पूरी हो रही है तथा दोनों देश युद्धविराम की अवधि बढ़ाने के लिए वार्ता पुनः शुरू हो, उसके पहले अपनी-अपनी तलवारें खड्खड़ा रहे हैं तथा ईरान ने भी कहा कि उसके जांबाज युद्ध पुनः शुरू करने को लालायित हैं।

बड़ी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम का निपटान, जो कथित रूप से किसी पहाड़ी गुफा में छिपा हुआ है। इसलिए, इस्लामाबाद में अमेरिका

और ईरान के बीच वार्ता फिलहाल स्थगित लग रही है, जबकि अमेरिकी टीम, जो नामित और तैयार है, वाशिंगटन में रुकी हुई है। अमेरिका ने

बार-बार कहा है कि एक टीम, जिसका उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस फिर से नेतृत्व कर रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। इसी बीच, ईरान ने इस्लामाबाद आने से इन्कार कर दिया। ईरान का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करना जारी है। अमेरिका ने सोमवार को एक और ईरानी जहाज जबरन किया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले उपहारों से भरा बताया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले रिपोर्ट किया था कि चीन ईरान को महत्वपूर्ण उपकरण और निगरानी उपकरण भेज रहा था।

चीन ने इन आपूर्तियों का खंडन किया है, लेकिन ईरान द्वारा अमेरिकी संपत्तियों पर सटीक हमले किसी भी प्रकार की खुफिया साझेदारी और विशेष उपकरण की मौजूदगी की ओर संकेत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 42 बीघा भूमि विवाद में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य से जवाब मांगा

- सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल की एक महिला के संबंध में एपेलेट ट्रिब्यूनल को यह निर्देश दिया। ज्ञातव्य है कि आधार व पासपोर्ट होने के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से उक्त महिला को बाहर कर दिया गया था।

अनुरोध किया कि वह उस महिला की विशेष (आउट-ऑफ-टर्न) सुनवाई प्रदान करें, जो एसआईआर प्रक्रिया के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 21 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 9 अप्रैल के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने जयपुर में बी-टू-बाईपास पर स्थित 42 बीघा जमीन को आवासन मंडल की मानते हुए 31 जुलाई, 1981 के समझौता विक्रय को अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेडीए सहित अन्य से जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत में आवासन मंडल की ओर से कैविएटर के तौर पर अधिवक्ता दिनेश

- ज्ञात रहे कि जयपुर में बी-टू-बाईपास पर 2200 करोड़ रुपए की उक्त बेशकीमती जमीन पर पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने हाऊसिंग बोर्ड का मालिकाना हक माना था।
- अब खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 9 अप्रैल के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें इस 42 बीघा जमीन को आवासन मंडल की मानते हुए 31 जुलाई, 1981 के समझौता विक्रय को अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था।
- श्रीराम कॉलोनी की ओर से दायर अपील में सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा और आशीष शर्मा ने बताया कि एकलपीठ ने उन मुद्दों पर पुनः निर्णय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही तय किए जा चुके हैं। आवासन मंडल ने अपीलार्थी पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को भी पूर्व में ही न्यायिक कार्यवाहियों में खारिज किया जा चुका है।

यादव मौजूद रहे, जबकि श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहयोगी आशीष शर्मा पैरवी के लिए उपस्थित हुए। श्रीराम कॉलोनी की ओर से दायर अपील में सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा और आशीष शर्मा ने

बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 9 अप्रैल को उन मुद्दों पर पुनः निर्णय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही तय किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल ने अपीलार्थी पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को भी पूर्व में ही न्यायिक कार्यवाहियों में खारिज

किया जा चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 31 जुलाई 1981 के विक्रय समझौतों को शून्य घोषित करना, वहां गत करीब 4 दशक से रहे 200 परिवारों के साथ अन्याय है। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए याचिका पर सुनवाई

करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने गत 9 अप्रैल को अपने आदेश में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को इस 42 बीघा जमीन पर दो

गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध मानते हुए कहा था कि समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि "धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है। 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है। एकलपीठ ने वर्ष 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना कि अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खतेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि खतेदार सिविल कोर्ट में जमा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 21 अप्रैल। पाँचसो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आकाश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत

- इस घटना की रिपोर्ट मानसरोवर थाने में अक्टूबर 2023 को हुई थी।

ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठासीन अधिकारी दीक्षा सूद ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। इससे वह न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)